सं0-247/xxviii(3)2005-33/2005

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक : 31 मार्च, 2005

विषय: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रणाकोट जनपद टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-7प/1/पी0एच0सी0/25/2004/1870 दिनांक 31.1.05 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2004-05 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रणाकोट जनपद टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु रू0 46,39,00,000.00 (रू0 छियालीस लाख उन्चालीस हजार मात्र) की लागत पर प्रशासकीय तथा वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में रू0 15,00,000.00 (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तानुसार प्रदान करते है ।

1- एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ले।

2- कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3- धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् निर्माण ईकाई परियोजना प्रबंधक उत्तरांचल पेय जल निगम को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

5- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्व. अनुमोदित दरों में जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।

6- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7- कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8- एक मुश्त प्राविधन को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10- कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ आवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जावें।

11- आगणन को जिन मदों हेतु की राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरे मद में व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा लो जाय,उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

12- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गया है।

13- निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टियों में बदलाव आता है तो इस दशा में शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14- निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू-भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15- उक्त भवनों के कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े ।

16- धनराशि आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाए।

17- उक्त व्यय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या -12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य. पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत -02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 91-जिला योजना 02-नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण (सामान्य)(विस्तार अंश) 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जावेगा।

18- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-1579/वित्त अनुभाग-2/2005 दिनांक 31/3/2005 से प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नक - यथोक्त

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

सं0-247/xxviii(3)2005-33/2005 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, मालरा देहरादून ।
2- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4- जिलाधिकारी, टिहरी।
5- मुख्य चिकित्साधिकारी टिहरी ।
6- परियोजना प्रबंधक, उत्तरांचल पेयजल निगम।
7- निजी सचिव मा0 मुख्य मुख्यमंत्री।
8- वित्त अनुभाग-2/नियोजन विभाग।
9- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव